

न्यायालय सं०-९

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

निर्देश याचिका सं०-५८२/२०२४

राजवीर सिंह

---याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

---विपक्षीगण

आदेश

द्वारा माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा०)

२०-०८-२०२६

याची के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा याचिका को नॉटप्रेस करने की प्रार्थना की। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश पत्र पर अंकन भी किया गया। विपक्षीगण की तरफ से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी। अतः याची के विद्वान अधिवक्ता की याचना स्वीकार की जाती है। निर्देश याचिका को नॉटप्रेस करने के कारण खरिज किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह०/-
(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा०)